बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

पत्रांक............................/पटना दिनांक.......................

04/सह॰ लेखा (प्रशिक्षण केन्द्र)–01/2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰एवं हक)
बिहार पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्कर के क्रय हेतु राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद में कुल राशि रू0 35,63,030.00 (पैंतीस लाख तिरेसठ हजार तीस) रू0 मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के लिय कुल 27 कम्प्यूटर रू0 99,990.00(निन्यानबे हजार नौ सौ नब्बे) प्रति कम्प्यूटर के दर से, 01 ऑल इन वन कम्प्यूटर रू0 90,000.00(नब्बे हजार) प्रति ऑल इन वन कम्प्यूटर के दर से, 19 प्रिंटर–सह–स्कैनर रू0 35,000.00(पैंतीस हजार) प्रति प्रिंटर–सह–स्कैनर के दर से एवं 19 यू0पी0एस रू0 5,700.00(पाँच हजार सात सौ) प्रति यू0पी0एस के दर से **कुल रू0 35,63,030.00 (पैंतीस लाख तिरेसठ हजार तीस) रू0 मात्र** की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत आधुनिकीकरण मद से मांग सं॰–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता विभाग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–09–2425000010107, विस्तृत शीर्ष –13 कार्यालय व्यय, विषय शीर्ष –01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के लिए कुल 28 कम्प्यूटर (01 ऑल इन वन कम्प्यूटर सहित), 19 प्रिंटर–सह–स्कैनर एवं 19 यू0पी0एस के क्रय हेतु सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. राशि की निकासी Fully Vouched Contigent Bill पर की जायेगी तथा जेम पोर्टल पर आमंत्रित निविदा संख्या–GeM/2025/B/6279182 में चयनित L1 फर्म आशुतोष इन्टरप्राइजेज, गेट न॰–33, राजापुर, मैनपुरा, पटना–800001 को भुगतान किया जायेगा ।

5. वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2870 दिनांक 19.04.2021 के क्रम सं॰–17 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जाएगा ।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जी॰एस॰टी॰ एवं आयकर कटौती की जायेगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4989/वि(2) दिनांक–16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेगें। साथ ही साथ राशि की निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा ।

8. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा।

9. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/सह० लेखा (प्रशिक्षण केन्द्र)–01/2017 के पृष्ठ संख्या 120/टि0 पर दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त है।

10. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–04/सह० लेखा (प्रशिक्षण केन्द्र)–01/2017 के पृष्ठ संख्या 121/टि0 पर दिनांक 03.07.2025 को प्राप्त है।

ह0/–

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 194 /पटना, दिनांक 04/07/25

04/सह० लेखा (प्रशिक्षण केन्द्र)–01/2017

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
3. वित्त विभाग (बजट शाखा/लेखा शाखा), बिहार, पटना/अवर सचिव, योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी बजट शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी लेखा शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर सहकारिता विभाग, बिहार पटना।

विभागीय बजट शाखा से अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाए।

04.07.25

सरकार के अपर सचिव।